मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी – मार्च, 1992 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च, 1992 (फाल्गुन 23, 1913)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री चन्द्रशेखर साहू, मदनगोपाल सिंह, सदस्य, सरगुजा जिले में एक खदान की छत गिरने से चार श्रमिकों की हुई मृत्यु की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री नरोत्तम मिश्र, सदस्य, ग्वालियर शुगर मिल डबरा द्वारा कृषकों का गन्ना न खरीदे जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 97-बगीचा से निर्वाचित सदस्य, श्री विक्रम भगत को फरवरी-मार्च, 1992 सत्र में दिनांक 10 फरवरी, 1992 से दिनांक 15 मार्च, 1992 तक की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

4. आदिम जाति कल्याण मंत्री का वक्तव्य

श्री बलीराम कश्यप, आदिम जाति कल्याण मंत्री, दिनांक 6 मार्च, 1992 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 35 (क्रमांक 4364) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

5. वर्ष 1992-93 की अनुदानों की मांगो पर मतदान (क्रमशः)

निर्धारित समय		
1 घन्टा	(1) मांग संख्या 16	मछली पालन
1 घन्टा 30 मिनिट	(2) मांग संख्या 37 मांग संख्या 46	पर्यटन विज्ञान और टेक्नालाजी
1 घन्टा 30 मिनिट	(3) मांग संख्या 18	श्रम

6. अशासकीय संकल्प

45 मि. (1) श्री नेमीचन्द जैन, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे –

"इस सदन का मत है कि प्रदेश में समस्त ग्रामीण पशुपालकों हेतु शासन द्वारा निःशुल्क पशुधन बीमा योजना लागू की जाय".

45 मि. (2) श्री सुरेश सेठ, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे –

"इस सदन का मत है कि लोकसभा, राज्य सभा एवं विधान सभा के प्रत्याशियों हेतु निर्वाचन से पूर्व शासन की सभी देयताओं का अमांग प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य किये जाने हेतु संबंधित कानून में संशोधन हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाए".

30 मि. (3) श्री मारोतीराव खबसे, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे –

"सदन की राय में नगर निगम एवं नगर पालिकाओं द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं के भवनों का संधारण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाए".

15 मि. (4) श्री उदय प्रकाश मिश्र एवं श्री अजमेर सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे –

"इस सदन की राय में सतना-रीवा रेल लाईन को मिर्जापुर व्हाया मऊगंज तक संबद्ध करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाय".

15 मि. (5) श्री आरिफ अकील, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे –

"इस सदन का मत है कि भोपाल में तत्काल केंसर, एड्स, टी.बी., कुष्ठ जैसे रोगों तथा ओपन हार्ट सर्जरी, किडनी स्टोन इत्यादि के लिये जटिल शल्य चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए".

7. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

(1) दिनांक 19 फरवरी, 1992 को राजस्व मंत्री से पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्रमांक 1890) के उत्तर से उद्‌भूत विषय पर श्री गोपाल भार्गव, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 26 फरवरी, 1992 को वन मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्रमांक 571) के उत्तर से उद्‌भूत विषय पर श्री रामानन्द सिंह, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 12 मार्च, 1992

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा